उत्तर प्रदेश सरकार

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग

संख्या–59 / सू0एवंज0सं0वि0(विज्ञा0प्र0)–326 / 2023

लखनऊ : दिनांक 23 मई, 2023

<u>प्रिन्ट मीडिया की विज्ञापन एजेंसियों के नवीनीकरण / सूचीबद्धता हेतु मानक / शर्तें</u>

1– विज्ञापन एजेंसी का कार्यालय, लखनऊ में स्थापित होना चाहिए तथा अपेक्षित आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त दिल्ली में भी समस्त आधुनिक सुविधाओं युक्त कार्यालय होना चाहिए। यदि उनके अन्य राज्यों मेट्रोज में भी अन्य कार्यालय होंगे तथा अन्य मानकों के आधार पर भी गुणवक्ता युक्त पाये जायेंगे तो उन्हें वरीयता दी जायेगी।

2– विज्ञापन एजेंसी का आई0एन0एस0 से पंजीकरण होना अनिवार्य होगा, जिसमें उसके साथ बैंक गारण्टी व्यक्तिगत प्रतिभूर्ति मान्यता का वर्ष वार उल्लेख सप्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3– टर्न ओवर लखनऊ तथा दिल्ली कार्यालय अथवा अन्य स्थानों का अलग–अलग कार्यालय वार ब्यौरा उपलब्ध कराया जाये।

4– एजेंसी को आवेदन करते समय रू0 10.00 लाख की अर्नेस्ट मनी बैंक ड्राफ्ट के रूप में निदेशक के पक्ष में अनिवार्य होगी, जो सूचीबद्ध न होने की दशा में वापस कर दी जायेगी, अन्यथा आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

5– विज्ञापन एजेंसी को अद्यतन संचार व्यवस्था और अवस्थापना सुविधा से युक्त होना चाहिए, जिसमें कम्प्यूटर की संख्या, इन्टरनेट, कलर प्रिन्टर, स्कैनर, डिजिटल फोटो कापियर अनिवार्य रूप से स्थापित होने चाहिए।

6– विज्ञापन एजेंसी में स्टाफ का विवरण यथा डिजाइनर, कापी राइटर्स, ट्रांसलेटर, विजुलाइजर आदि की कितनी संख्या है इसका उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।

7– एजेंसी में हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद करने हेतु अनुवादक का होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के अनुवाद हेतु अनुवादक की व्यवस्था भी उपलब्ध होनी चाहिए। अनुवादक की गुणवत्ता का परीक्षण विज्ञापन एजेंसी की चयन समिति द्वारा किया जायेगा।

8– एजेंसी की वेबसाइट पर उससे संबंधित समस्त अद्यतन विवरण / जानकारी अपलोड होना अनिवार्य है।

9– वर्तमान में विभाग में सूचीबद्व एजेंसियों को भी 15 दिन के अंदर नवीनीकरण हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा स्थिति में वर्तमान सूचीबद्ध एजेंसियों की स्वतः सूचीबद्वता समाप्त हो जायेगी।

10– नयी सूचीबद्ध / नवीनीकृत एजेंसियों की अवधि दो वर्ष की होगी। निदेशक महोदय यथा आवश्यकतानुसार एजेंसियों को एक वर्ष अथवा अग्रिम समय तक बढ़ा सकते है।

11– एजेंसियों की सूचीबद्धता / नवीनीकरण से संबंधित एजेंसियों के कार्यालयों के भौतिक निरीक्षण हेतु निदेशक द्वारा एक विभागीय समिति का गठन किया जायेगा, जो कि एजेंसियों के कार्यालयों की भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट निदेशक को उपलब्ध करायेगी।

12– एजेंसियों को आई0एन0एस0 में अनुमोदित समाचार पत्रों को आई.एन.एस. नियमों के अनुसार समाचार पत्रों को भुगतान सुनिश्चित करना होगा।

13– यदि कोई राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की विज्ञापन एजेंसी विभाग में सूचीबद्वता हेतु निदेशक सूचना से सीधे अनुरोध करती है तो उसे सूचीबद्ध करने का अधिकार सूचना निदेशक में सुरक्षित है।

14– एजेंसी के व्यापार के पंजीकरण प्रमाण पत्र (जी0एस0टी0 पंजीयन प्रमाण पत्र) की छाया प्रति।

15– एजेंसी को विगत तीन वित्तीय वर्ष यथा 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 का मासिकवार/वार्षिक जी.एस.टी. रिटर्न प्रपत्र की छाया प्रति।

16– एजेंसी का विगत तीन वित्तीय वर्ष यथा 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 वर्ष का आयकर विवरणी प्रमाण पत्र (आई0टी0आर0) प्रपत्र की छाया प्रति तथा पैन कार्ड की स्वप्रमाणित छाया प्रति।

17– एजेंसी का विगत तीन वित्तीय वर्षो यथा 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 का औसत वार्षिक टर्नओवर 10.00 करोड़ होना चाहिए तथा चार्टेड एकाउण्टेण्ट द्वारा प्रमाणित टर्न–ओवर प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

18– एजेंसी को चार्टेड एकाउण्टेण्ट द्वारा प्रमाणित विगत तीन वित्तीय वर्षो यथा 2019–20, 2020–21एवं 2021–22 की आडिटेड बैलेन्स शीट, लाभ–हानि खाता की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

19– एजेंसी को अपने स्वामित्व के प्रमाण हेतु पंजीयन/पार्टनरशिप डीड/MOA/AOA/COI प्रपत्र की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

20– एजेंसी के प्रोपराइटर/समस्त पार्टनर/समस्त डाइरेक्टर के पैन कार्ड एवं आधार कार्ड की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

21– एजेंसी द्वारा विगत दो वित्तीय वर्षो 2021–22 एवं 2022–23 में वार्षिक 10.00 करोड़ धनराशि के प्रिंट विज्ञापन कार्य का केन्द्र/राज्य/PSU में अनुभव होना चाहिए जिस हेतु कार्यादेश/अनुभव प्रमाण पत्र मय धनराशि का प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

22– एजेंसी को अपने सूचीबद्धता हेतु प्रोपराइटर/पार्टनर/डाइरेक्टर द्वारा अधिकृत व्यक्ति, दिवालिया न होने, किसी भी सरकारी विभाग में ब्लैक लिस्ट न होने तथा संलग्न किये गये समस्त पत्रों की सत्यता एवं प्रमाणिकता हेतु अलग–अलग 04 शपथ पत्र जो कि रू0 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पत्र पर संलग्न करना अनिवार्य होगा।

23– सूचीबद्ध हेतु चयनित फर्म द्वारा दो वर्ष के लिए जमानत के रूप में रू0 25.00 लाख धनराशि की एफ0डी0आर0/बैंक गारंटी जो कि किसी शेडयूल्ड कार्मिशियल बैंक से निर्गत हो तथा निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उ0प्र0, लखनऊ के पक्ष में देय के रूप में हो एवं जिसकी वैधता इम्पैनलमेंट से 25 माह तक की हो जमा करना अनिवार्य होगा, जिसे सूचीबद्धता की समाप्ति पर समस्त देयकों के भुगतान के उपरांत ही वापस किया जायेगा।

24– एजेंसी द्वारा नान आई.एन.एस. समाचार पत्रों का भुगतान 90 दिन के अंदर करना अनिवार्य होगा तथा इस आशय का प्रमाण पत्र विभाग में प्रस्तुत करना होगा। यदि एजेंसी ऐसा नहीं करती है तो उनका आगे का भुगतान रोकते हुए उनकी जमानत धनराशि जब्त करते हुए उनकी सूचीबद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

25– एजेंसी को उपरोक्त शर्तो/मानकों के संदर्भ में निदेशक महोदय द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

(शिशिर)
सूचना निदेशक।

<u>सूचना विभाग में विज्ञापन एजेंसियों की सूचीबद्वता हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप</u>

1	विज्ञापन एजेंसी और उसके स्वामित्व का विवरण/प्रमाण पत्र की छाया प्रति	
2	लखनऊ स्थित कार्यालय का पूरा पता	
	दूरभाष संख्या :	
	मोबाइल संख्या :	
	ई–मेल :	
3	दिल्ली स्थित कार्यालय का पूरा पता	
	दूरभाष संख्या :	
	मोबाइल संख्या :	
	ई–मेल :	
4	देय प्रतिभूर्ति का विवरण	
5	विज्ञापन एजेंसी के आई0एन0एस0 से मान्यता का वर्ष, वर्तमान अवस्थिति (साक्ष्य सहित)	
6	विज्ञापन एजेंसी की बैंक गारण्टी, व्यक्तिगत प्रतिभूत का साक्ष्य सहित विवरण	
7	विज्ञापन एजेंसी का विगत तीन वर्ष का टर्न ओवर का साक्ष्य सहित विवरण : (यह टर्न ओवर लखनऊ, दिल्ली तथा अन्य कार्यालयों का अलग–अलग कार्यालयवार दिया जाये)	
8	विज्ञापन एजेंसी में कम्प्यूटर/लैपटाप की संख्या	
9	विज्ञापन एजेंसी में इन्टरनेट, कलर प्रिन्टर्स, स्कैनर एवं डिजिटल फोटो–कापियर की उपलब्धता का विवरण	
10	विज्ञापन एजेंसी द्वारा राज्य सरकार, केन्द्र सरकार और पब्लिक सेक्टर अण्डरटेकिंग्स में कार्य करने का अनुभव (प्रमाण सहित)	
11	विज्ञापन एजेंसी में डिजाइनिंग स्टाफ की उपलब्धता का विवरण	
12	विज्ञापन एजेंसी में हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद की उपलब्धता का विवरण	
13	विज्ञापन एजेंसी में क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद की उपलब्धता का विवरण	
14	एजेंसी की जी0एस0टी0 पंजीयन प्रमाण पत्र/पैनकार्ड/आडिट बैलेस शीट की छाया प्रति	
15	एजेंसी की आई0टी0आर0 का टर्न ओवर की छाया प्रति	
16	प्रपत्रों/सत्यता प्रमाण हेतु रू0 100 का ज्यूडीशियल स्टैम्प पेपर पर घोषणा पत्र	
17	जमानती धनराशि संबंधी अपेक्षित प्रपत्र	
18	अन्य विवरण जो आवश्यक हों	